'मास्टर प्लान के अनुसार होगा शहरों का सुनियोजित विकास'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान के सभी शहरों में लागू हुई विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियां

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं उनके मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी शहरों में विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियां (डवलपमेंट प्रमोशन एवं कंट्रोल रेगुलेशन्स) को लागू किया है।

इन उपविधियों के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भावी जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न भू-उपयोग यथा आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, सार्वजनिक व अर्ध-

■ **'भू-रूपातंरण और आवंटन प्रक्रिया में सुगमता होगी'**

सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद आदि के कार्य आसानी से संपादित होंगे। भू उपयोग परिवर्तन में लगने वाले समय में कमी आएगी और आमजन को सहूलियत होगी। साथ ही, सामुदायिक, शैक्षिणक, चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि रूपान्तरण एवं भू-आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेगी, जिससे इनसे संबंधित आधारभूत संरचनाओं के लिए निवेश आएगा। अधिसूचित उपविधियों के अनुसार मुख्य भू-उपयोग में पूरक व संगत गतिविधियों को अनुज्ञेय करते समय न्यूनतम तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किया गया है। इससे उस क्षेत्र का वातावरण भी प्रभावित नहीं होगा एवं आमजन को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी।

इन उपविधियों के अनुसार न्यूनतम तकनीकी मापदण्ड के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय निकाय के स्तर पर अनुमोदित किया जा सकेगा। प्रत्येक मुख्य भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय संगत गतिविधियों का दो श्रेणीयों- अनुमत एवं अनुमति योग्य में विभाजित गया है। अनुमत गतिविधियां स्थानीय निकाय स्तर तथा अनुमति योग्य गतिविधियां क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिकारी स्तर से परीक्षण उपरान्त स्थानीय निकाय के स्तर पर अनुज्ञेय की जा सकेगी।

इन उपविधियों के अन्तर्गत कस्बों की श्रेणी या ग्राम आबादी के प्रयोजन के लिए नवीनतम जनगणना द्वारा की गई जनसंख्या को आधार माना जाएगा। एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों को बड़े शहर तथा एक लाख तक की जनसंख्या के शहरों को लघु व माध्यम शहर माना जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाडी, पाली आदि शहरों के मास्टर प्लानों को ही सम्मिलित किया गया था। इन उपविधियां के दायरे में अब शेष शहरों को भी शामिल कर लिया गया है।

सरकारी जमीन पर भारी चारा वाहनों की पार्किंग पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चौमूं की हाडौता ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर भारी चारा वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, कलेक्टर और प्रमुख गृह सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश रामेश्वर प्रसाद व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत की सरपंच ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अधिकारियों से मिलीभगत कर चारागाह भूमि और आम रास्ते को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए भारी चारा वाहनों के लिए पार्किंग का ठेका दे दिया। याचिका में कहा गया कि काश्तकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम के तहत चारागाह भूमि और आम रास्ते की जमीन का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। वर्ष 2017 में संबंधित भूमि पर भारी चारा वाहनों की पार्किंग के लिए 1.58 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया था।

परकोटे में पार्किंग व यातायात सुव्यवस्थित करें : दिया कुमारी

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि जयपुर के परकोटा बाजार में यातायात के सुव्यस्थित संचालन किया जाए। उन्होंने इस हेतु विस्तृत योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए रामनिवास बाग में बनी पार्किंग में वाहन पार्क करने हेतु व्यापार मण्डलों से चर्चा कर समाधान करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा जयपुर हैरिटेज की महापौर कुसुम यादव की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बजट घोषणा के तहत चिन्हित किए कामों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रामनिवास बाग में बनी पार्किंग में वाहन पार्किंग को प्रोत्साहित किया जाए तथा इस हेतु न्यूनतम पार्किंग शुल्क

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन शासन सचिव रवि जैन व जयपुर हैरिटेज महापौर कुसुम यादव की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई।

चार्ज किया जाए। दिया कुमारी ने उक्त सम्बन्ध में उपआयुक्त यातायात पुलिस श्री पूनम सागर को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जयपुर यातायात पुलिस परकोटा क्षेत्र में यातायात के सुव्यस्थित संचालन के लिए कार्य योजना बनाकर लागू की जाए। बैठक में डायरेक्टर लोकल बॉडी कुमार पाल गौतम, हैरिटेज नगर निगम आयुक्त अरुण हसींजा, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, उपनिदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत तथा उपनिदेशक पर्यटक सहायता बल विजय सेहरा उपस्थित रहे।

भारत में वन पुनर्स्थापना कार्यक्रमों में विशाल वृक्ष प्रजातियों की अनदेखी की जा रही है : डॉ. पाण्डेय

पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. दीपनारायण पाण्डेय ने राष्ट्रीय गोलमेज बैठक में शोध प्रस्तुत करते हुए ''भारत में वन पुनर्स्थापना'' में हो रही बड़ी चूक पर खुलासा किया

जयपुर/नई दिल्ली। भारत के वन पुनर्स्थापना कार्यक्रमों में गंभीर चूक का खुलासा करते हुए राजस्थान के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने अपने शोध को टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में आयोजित ''नेशनल राउंडटेबल ऑन नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस'' में प्रस्तुत किया।

पिछले एक वर्ष में 23 राज्यों के 250 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों पर किए गए अपने अध्ययन के आधार पर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि वन पुनर्स्थापम में बड़े बीजों वाले, प्राणी-प्रकीर्णित, लेट-सक्सेशनल विशाल वृक्ष प्रजातियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस चूक से न केवल वनों की पारिस्थितिकी में असंतुलन आ रहा है बल्कि जलवायु सहनशीलता में भी गिरावट हो रही है।

डॉ. पाण्डेय ने अपने शोध में

बताया कि बड़े बीजों वाले वृक्षों का वन पुनर्स्थापन में अभाव भारत के वनों से इन प्रजातियों के विलुप्ति का कारण बन रहा है। इनमें से कई प्रजातियां जैसे आम, महुआ, तेंदू, कुसुम, कैंथ, चिरोंजी, बहेड़ा, हर्रा, आंवला, जामुन, अर्जुन, सादड़, कणज, बेर, घटबोर, मकोय, लिसोड़ा, बीजासाल, खाखरा, कड़ाया, सीताफल, बेल, कचनार, बिस्तेंदू, गोदल, ऊंबिया, इमली, सागवान, खजूर, अचार (चारोली), हिंगोट, अरीठा, चंदन, कुचिला, धोबीनट, डिलेनिया आदि शामिल हैं।

यदि इन वृक्ष प्रजातियों को पुनर्स्थापन योजनाओं में शीघ्रता से देश भर में शामिल नहीं किया गया, तो ये केवल राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों तक ही सीमित रह जाएँगी। इन प्रजातियों के बिना वन पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगा, जो वनस्पतियों और वन्यजीवों की दीर्घकालिक सहनशीलता को प्रभावित करेगा। डॉ. पाण्डेय ने अपने शोध में कशेरुकी प्राणियों द्वारा वृक्ष प्रजातियों के बीज-विकीर्णन में निभाई जाने वाली भूमिका पर भी जोर दिया। उष्णकटिबंधीय वनों में कशेरुकी प्राणी 75 से 90 प्रतिशत वृक्ष प्रजातियों और 60 प्रतिशत झाड़ी प्रजातियों के बीज विकीर्णित करते हैं। इनमें से कुछ वृक्ष और झाड़ी प्रजातियाँ विशेष रूप से केवल कुछ प्राणियों द्वारा ही विकीर्णित होती हैं, जिनके बिना उनका बीज-विकीर्णन बाधित हो जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में भालू 21 प्रजातियों का विकीर्णन करता है, जिनमें से 9 प्रजातियाँ केवल भालू द्वारा ही विकीर्णित होती हैं।

इसी प्रकार, बंदरों द्वारा 48 प्रजातियों का विकीर्णन होता है, जिनमें से 26 प्रजातियाँ पूरी तरह से बंदरों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, इन वृक्षों का सामाजिक-आर्थिक महत्व भी है। ये वृक्ष ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक लकड़ी, औषधीय उत्पाद, और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। इनके धीरे-धीरे विलुप्त होने से उन समुदायों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा, जो इन वनों पर निर्भर हैं। जनजातीय और ग्रामीण समुदायों के लिए ये वृक्ष आजीविका का आधार हैं, और इनका अभाव सीधे उनकी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

डॉ. पाण्डेय ने भारत में हुई शोध और अपने अनुभवजन्य ज्ञान के निष्कर्षों पर जोर देते हुए कहा कि इन प्रजातियों को वन पुनर्स्थापन योजनाओं में शामिल करना अनिवार्य है। यह कदम न केवल जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, बल्कि जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने और वन-निर्भर समुदायों के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ के लिए भी आवश्यक है।

दौसा विधानसभा उपचुनाव में हाईकोर्ट का दखल से इनकार

अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे तो अपने मुद्दों को चुनाव याचिका के जरिए उठा सकता है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा विधानसभा के बुधवार को होने वाले उपचुनाव को लेकर दायर याचिका में दखल से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे तो अपने मुद्दों को चुनाव याचिका के जरिए उठा सकता है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार मीना की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दौसा में बुधवार को उप चुनाव हैं। इसके लिए मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचने सहित अन्य सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में इस समय याचिका पर सुनवाई कर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता चाहे तो अपनी आपत्तियों को चुनाव याचिका दायर कर उठा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा और अधिवक्ता डॉ. विभूतिभूषण शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता भी दौसा विधानसभा के उप चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है। ऐसे में उसने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन किया, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने जानबूझकर उसका नामांकन पत्र नहीं लिया और बाद में उच्चाधिकारियों के साथ वीसी में व्यस्त होना बताकर नामांकन पत्र लेने से ही इनकार कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 में प्रावधान है कि विधानसभा चुनाव में एसटी वर्ग के उम्मीदवार से पांच हजार रुपए लिए जाएगे, इसके बावजूद भी प्रावधानों की अवहेलना कर उससे दस हजार रुपए की वसूली कर रसीद दी गई। याचिका में कहा गया कि जब उससे फीस वसूल की गई है तो रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व था कि वह उसका नामांकन पत्र भी स्वीकार करते। वहीं उसे अन्य विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा एमएलए की ओर से भी फोन कर किसी अन्य प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की बात कही। ऐसे में उसे जानबूझकर दौसा विधानसभा के उप चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। याचिका में गुहार की गई थी कि उसका नामांकन पत्र स्वीकार कर उसे चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

डॉ. किरोड़ी मीणा के समझाने पर टंकी से नीचे उतरे युवक

जयपुर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर दो दिन से पानी की टंकी पर चढ़े युवकों ने धरना खत्म कर दिया है।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के समझाने पर दोनों युवक उनके साथ नीचे उतर आए। दरअसल, जयपुर के हिम्मत नगर की पानी की टंकी पर रविवार को दो युवक चढ़ गए थे। उन्होंने टंकी पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग व अन्य मुद्दों को लेकर बैनर भी लगाया था। दो दिन तक प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी वे नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा छात्रों से बात करने पहुंचे। पहले उन्होंने नीचे से ही माइक के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद वे करीब एक बजे युवकों से बात करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े। करीब 20 मिनट तक उन्होंने युवकों से समझाइश की और उन्हें लेकर नीचे उतरे। टंकी से उतरने के बाद एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे युवक विकास और लादूराम ने कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हमारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया है। चुनाव के बाद सीएम के सामने अपनी मांग रखेंगे। दरअसल, रविवार को दिन में 1 बजे लादूराम चौधरी और विकास विधूड़ी हिम्मत नगर स्थित पानी की टंकी पर दो बैनर लेकर चढ़ गए थे।

पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए एम.ओ.यू.

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर- किशोरियों को जीवन कौशल एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों द्वारा सशक्त करने के लिए एक एमओयू पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारतीय प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

रांका ने विभाग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस एमओयू के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों-विशेष शिक्षकों और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां आदि प्रदान करने तथा किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की

स्थापना की जाएगी। इस एमओयू का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को सशक्त बनाने, समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बचनेश कुमार अग्रवाल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित यूएनएफपीए इंडिया के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एसीबी महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा

जयपुर। आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक ने मंगलवार को एसीबी मुख्यालय में डीजीपी डॉ. रवि मेहरडा को ज्ञापन देकर एकल पट्टा घोटाले की जांच करने तथा 422/2024 में पूर्व मंत्री शान्ति धारीवाल को गिरफ्तार करने व धारीवाल, समेत जी.एस.संधु, औंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और शैलेन्द्र गर्ग की आय से अधिक सम्पत्ति को जब्त करने की माँग की है। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो 18 नवम्बर से एसीबी मुख्यालय पर धरना देंगे।

चोर गिरफ्तार

जयपुर। शास्त्री नगर पुलिस ने सूने मकान से जेवर-नकदी चुराने वाले शोयब उर्फ बाबू (24) मेहनत नगर, सोडाला व इकरामुद्दीन (48) राजीव नगर, हसनपुरा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनो नकबजनों ने शहरभर में आधा दर्जन वारदातें करना कबूला है।

सार-समाचार

श्रावकाचार विद्वत् संगोष्ठी सम्पन्न

जयपुर (कासं)। प्रतापनगर सेक्टर-8 में श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर के संत भवन में ऊर्जयन्त सागर महाराज के सानिध्य में श्रावकाचार विषय पर विद्वत संगोष्ठी सानंद संपन्न हुई। इस संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता डॉ. सनत कुमार जैन ने बताया कि प्रत्येक मनुष्यों को अपने पापों से बचने एवं जीवन को धर्म की ओर मोड़ने हेतु किए गये पुरूषार्थ ही जीवन में काम आएंगे। क्योंकि आहार, निन्दा, भय, और मैथुन ये चारों क्रियायें पशुओं में भी पाईं जाती है। एक मात्र धर्म ही मनुष्य को मानव बनाता है। संगोष्ठी मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉ. श्रीयांश सिंघई ने बताया कि चारों गतियों में से मात्र मनुष्य गति में ही धर्म करने का अवसर मिलता है और इस अवसर को भूल वश पांचों इन्द्रियों के भोगों में ही बिता दिया जाय तो पुन: धर्म धारण करने हेतु अनंतों भवों के बाद ही अवसर मिल पाता है। अत: श्रावकों को अपने जीवन में छ: आवश्यकों को अवश्य ही धारण कर जीवन सफल बना लेना चाहिए। ऊर्जयन्त सागर महाराज ने बताया कि आज जैन समाज में धर्म के क्षेत्र में दिखावा ज्यादा हो गया है। श्रावक अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। समाज, राजनीति, जनसंख्या, सदाचार, शाकाहार, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरन्तर समाज नीचे गिरती जा रही है। इस अवसर पर केन्द्रीय महामंत्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डया, विशिष्ट अतिथि राजस्थान अंचल अध्यक्ष अनिल कुमार जैन भूत पूर्व अध्यक्ष उत्तम चंद पाण्डया, कार्याध्यक्ष डॉ णमोकार, धार्मिक क्षेत्र के राष्ट्रीय निदेशक डॉ. भाग चंद जैन, सुरेश बांदीकुई, रूपेन्द्र छाबड़ा समेत कई लोग मौजूद थे।

महिलाओं और भामाशाहों का सम्मान

जयपुर। अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति की ओर से दीवाली स्नेह मिलन अन्नकुट महोत्सव एवं महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता का आयोजन संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने हनुमान पार्क अम्बाबाडी जयपुर पर किया गया। अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल नाटाणी एवं राष्ट्रीय महामंत्री गोविन्द नाटाणी ने बताया कि समारोह में नाटाणी परिवार की विगत एक वर्ष में स्टार्टअप के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं एवं पर्यावरण एवं स्वच्छता संरक्षण में जागरूक करने वाली पांच महिलाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर दीवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकुट महोत्सव में सहयोग करने वाले 11 भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। नाटाणी परिवार समिति के कार्यक्रम में खण्डेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितकारिणी सभा के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष महामंत्री के अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विशेषाधिकारी हनुमान सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी सीताराम अग्रवाल एवं क्षेत्रीय पार्षद दिनेश कावट, अक्षत खुटेटा, रमेश गुप्ता, प्रियंका अग्रवाल, रेखा कूलवाल, रूप कंवर, प्रेम देवी मौजूद थे।

'व्यावहारिक और माइंस सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले प्रस्ताव तैयार होंगे'

बजट प्रस्तावों के लिए माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से लेकर माइंस, भूविज्ञान, पेट्रोलियम के फील्ड स्तर तक के अफसरों की सहभागिता तय होगी : टी. रविकांत

जयपुर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने आगामी वर्ष के लिए माइंस विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए माइनिंग सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स से लेकर माइंस, भूविज्ञान और पेट्रोलियम क्षेत्र में मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर के अधिकारियों की सहभागिता से तय करने पर जोर दिया है, ताकि राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभाग द्वारा भेजे जाने वाले बजट प्रस्ताव व्यावहारिक व माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले हो।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त मंगलवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने बजट प्रस्तावों को लेकर नई पहल करते हुए फील्ड स्तर पर महसूस किये जाने वाले प्रस्तावों पर मंथन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे ले जाना हम सबका ध्येय है तो हमें यह

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने मंगलवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों से वर्चुअली संवाद किया।

भी सुनिश्चित करना होगा कि आमजन महसूस करें कि माइनिंग सेक्टर प्रदेश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए डीएमएफटी फण्ड के बेहतर उपयोग, वेस्ट मिनरल मेनेजमेंट, विभागीय संरचना में समयानुकूल बदलाव, सस्टेनेबल माइनिंग, सुसज्जित लेवोरेटरी, एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन, ब्लॉक तैयार करने के कार्य में तेजी, अधिकारियों एवं कार्मिकों का एक्सपोजर, कौशल विकास, देश दुनिया में माइनिंग सेक्टर में हो रहे बदलावों से अपडेट रहने सहित विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर प्रस्ताव तैयार किये जाएं ताकि प्रस्ताव व्यावहारिक, धरातलीय मुद्दों से जुड़े होने के साथ ही समग्र रुप से माइनिंग, जियोलोजी व पेट्रोलियम सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले हो।

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्राप्त सुझावों पर गुणावगुण आधार पर अध्ययन कर इस तरह के प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे जिससे विभागीय कार्य को गति मिल सके और प्रदेश का माइनिंग सेक्टर और अधिक गति से काम करते हुए प्रदेश के विकास में भागीदार बन सके।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा, महावरी प्रसाद मीणा, पीआर आमेटा, वाईएस सहवाल, एडीजी एसएन डोडिया, अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा, एफए गिरिश कछारा, एसएमई एनएस शक्तावत, कमलेश्वर बारेगामा, देवेन्द्र गौड़, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी मयंक व्यास, अधीक्षण भूविज्ञानी नितिन चौधरी, सीनियर जियोलोजिस्ट राजकुमार मीणा व एएओ राजेश गर्ग सहित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

साइबर गुलाम बनाकर धोखाधड़ी के संबंध में जारी की एडवाइजरी

■ **विदेश में रोजगार के संबंध में सावधानी बरते, विदेश मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा प्रसारित भर्ती का ही हिस्सा बने युवक : डी.जी. हेमंत प्रियदर्शी**

■ **प्राय: साइबर अपराधियों द्वारा पढ़े लिखे युवाओं को झांसा देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो में ले जाकर पासपोर्ट व अन्य परिचय पत्र छिने जाकर बंधक के तौर पर काम कराने के मामले सामने आते हैं**

जयपुर। साइबर स्लेवरी (गुलाम) बनाकर साइबर धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस मुख्यालय साइबर क्राइम शाखा द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने युवाओं से आव्हान किया है कि विदेश में रोजगार के संबंध में सावधानी बरते, विदेश मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा प्रसारित भर्ती का ही हिस्सा बने।

डीजीपी साइबर क्राइम प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगानें एवं आमजन में साइबर अपराधो के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य मे लगातार प्रयास किये जा रहे है। रोजगार के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा पढ़े लिखे व तकनीकी प्रशिक्षित युवाओ का झांसा देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो में आईटी क्षेत्र में रोजगार के लुभावने अवसर देकर फंसाया जा रहा हैं, जहां उन्हे ले जाकर उनके पासपोर्ट व अन्य परिचय पत्र छिने जाकर उन्हे बंधक के तोर पर साइबर गुलाम (स्लेव) बनाकर भाषा के आधार पर भारतीय नागरिको के साथ साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रियदर्शी ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय व पुलिस एजेंसिया ठोस कदम उठा रही हैं। आमजन से अपेक्षित है कि विदेश में रोजगार के संबंध में सावधानी बरते तथा विदेश मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा प्रसारित भर्ती का ही हिस्सा बने व अन्य व्यक्ति या एजेंट द्वारा दिया जा रहा रोजगार का आश्वासन व प्रलोभन अवैध है। उन्होंने बताया कि आमजन की जानकारी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय में पंजीकृत एजेंटो की सूची अधिकृत वेबसाइट पर पर उपलब्ध हैं।